युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 103

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		375.77	55.27	431.04	309.58	117.97	427.55	385.79	65.97	451.76
पूंजी		*9.23*	*0.03*	*9.26*	*0.42*	*0.03*	*0.45*	*14.21*	*0.03*	*14.24*
जोड़		**385.00**	**55.30**	**440.30**	**310.00**	**118.00**	**428.00**	**400.00**	**66.00**	**466.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.35	5.82	6.17	0.68	6.08	6.76	0.50	6.70	7.20
खेल और युवा सेवाएं										
युवा कल्याण योजनाएं										
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	31.18	15.59	46.77	29.75	15.05	44.80	28.97	16.04	45.01
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	4.37	2.60	6.97	3.86	2.60	6.46	5.13	2.89	8.02
	3601	19.00	2.29	21.29	16.70	2.29	18.99	20.00	2.52	22.52
	3602	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08	0.07	0.06	0.13
	जोड़	23.40	4.94	28.34	20.59	4.94	25.53	25.20	5.47	30.67
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601	...	4.00	4.00	...	3.00	3.00	...	6.00	6.00
5. राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवी स्कीम	2204	5.40	...	5.40	4.40	...	4.40	5.40	...	5.40
6. राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम	2204	4.50	...	4.50	3.50	...	3.50	3.95	...	3.95
	3601	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*4.50*	*...*	*4.50*	*4.50*	*...*	*4.50*	*4.95*	*...*	*4.95*
7. युवा होस्टल	2204	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.30	...	0.30
	4202	2.40	...	2.40	0.40	...	0.40	2.40	...	2.40
	जोड़	*2.60*	*...*	*2.60*	*0.60*	*...*	*0.60*	*2.70*	*...*	*2.70*
8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2204	2.00	0.27	2.27	2.00	0.37	2.37	1.80	0.65	2.45
9. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर	2204	10.90	...	10.90	0.10	...	0.10	10.80	...	10.80
10. राष्ट्रीय युवा आयोग	2204	...	1.00	1.00	...	1.77	1.77	...	0.10	0.10
11. अन्य योजनाएं	2204	28.34	1.51	29.85	11.89	1.31	13.20	23.18	1.51	24.69
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	4202	0.81	...	0.81	0.01	...	0.01	4.40	...	4.40
	जोड़	*29.25*	*1.51*	*30.76*	*12.00*	*1.31*	*13.31*	*27.68*	*1.51*	*29.19*
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		**109.23**	**27.31**	**136.54**	**73.94**	**26.44**	**100.38**	**107.50**	**29.77**	**137.27**
खेल एवं खेल-कूद										
12. भारतीय खेल प्राधिकरण	2204	110.50	15.97	126.47	98.50	15.97	114.47	126.34	21.06	147.40
13. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	4.75	2.70	7.45	4.75	2.90	7.65	6.00	4.50	10.50
14. अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा संघ	2204	0.10	...	0.10	...	...	...	0.10	...	0.10
15. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	2204	0.07	...	0.07	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
16. अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं आदि में विजेताओं को पुरस्कार	2204	9.00	...	9.00	24.35	...	24.35	5.00	...	5.00
17. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन	2204	15.06	...	15.06	9.76	...	9.76	9.00	...	9.00
18. खेल छात्रवृत्ति स्कीम	2204	3.83	...	3.83	2.83	...	2.83	...	...	...
19. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं (होनहार खिलाडियों इत्यादि की सहायता के लिए संशोधित योजना)	2204	3.17	...	3.17	0.10	...	0.10	2.50	...	2.50
20. राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता	2204	42.00	2.00	44.00	29.00	1.76	30.76	37.80	2.00	39.80
21. अफ्रीकी-एशियाई खेल	2204	9.32	...	9.32	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	...	63.00	63.00	...	...	...
	जोड़	*9.32*	*...*	*9.32*	*...*	*63.00*	*63.00*	*...*	*...*	*...*
22. खेल आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु अनुदान	3601	13.00	...	13.00	15.00	...	15.00	18.50	...	18.50
23. खेल के मैदानों इत्यादि के विकास हेतु ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	2204	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	4.50	...	4.50
24. विश्वविद्यालय तथा कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान	2204	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
25. सिन्थेटिक खेल सतहें बिछाने के लिए अनुदान	2204	4.50	...	4.50	2.00	...	2.00	15.00	...	15.00
26. अन्य योजनाएं	2204	2.48	1.32	3.80	4.42	1.67	6.09	9.18	1.79	10.97
	4202	6.02	0.03	6.05	0.01	0.03	0.04	6.02	0.03	6.05
	जोड़	*8.50*	*1.35*	*9.85*	*4.43*	*1.70*	*6.13*	*15.20*	*1.82*	*17.02*
जोड़-क्रीड़ा और खेल-कूद		**236.40**	**22.02**	**258.42**	**204.38**	**85.33**	**289.71**	**252.00**	**29.38**	**281.38**
27. अन्य कार्यक्रम	2204	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552	39.02	...	39.02	31.00	...	31.00	38.61	...	38.61
	4552	...	...	...	...	...	...	1.39	...	1.39
	जोड़	*39.02*	*...*	*39.02*	*31.00*	*...*	*31.00*	*40.00*	*...*	*40.00*
कुल जोड़		***385.00***	***55.30***	***440.30***	***310.00***	***118.00***	***428.00***	***400.00***	***66.00***	***466.00***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. खेल और युवा कार्य	22204	345.63	...	345.63	278.32	...	278.32	359.50	...	359.50
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.35	...	0.35	0.68	...	0.68	0.50	...	0.50
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	39.02	...	39.02	31.00	...	31.00	40.00	...	40.00
जोड़		**385.00**	**...**	**385.00**	**310.00**	**...**	**310.00**	**400.00**	**...**	**400.00**

सं.103 / युवा कार्यक्रम और खेल विभाग

1. **सचिवालय-समाजिक सेवाएं** : इसमें सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **नेहरू युवा केन्द्र संगठन** : नेहरू युवा केन्द्र संगठन इस मंत्रालय का केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जिसके अन्तर्गत जिलों में नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं । यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निचले स्तर का सबसे बड़ा संगठन है जो 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 80 लाख से अधिक युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। यह संगठन मुख्य रूप से युवा नेतृत्व, प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल-कूद तथा मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलापों, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के कार्यकलापों को अतिरिक्त बल देने के लिए कार्य कर रहा है ।

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना** : यह योजना 1969-70 में शुरू की गई थी जो विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्चतर शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। योजना पर होने वाला व्यय जम्मू और कश्मीर सरकार व बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले के अतिरिक्त, जहां पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 7:5 के आधार पर बांटा जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में इस के स्वयंसेवकों द्वारा अपनाए गए दो प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात "नियमित गतिविधियां" और "विशेष कैंपिंग कार्यक्रम"। "नियमित गतिविधियों" के अंतर्गत विद्यार्थियों से लगातार दो वर्ष की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने, न्यूनतम 120 घंटे प्रतिवर्ष के लिए सामुदायिक सेवा प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। इन गतिविधियों में परिसर का सुधार, वृक्षारोपण, अपनाए गए गांवों और गंदी बस्तियों में निर्माण कार्य, कल्याण संस्थाओं में कार्य, रक्तदान, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, एड्स जागरुकता अभियान आदि शामिल है। "विशेष कैंपिंग कार्यक्रम" में प्रतिवर्ष अपनाए गए क्षेत्रों में "वानिकीकरण और वृक्षारोपण हेतु युवा" "ग्रामीण पुर्ननिर्माण के लिए युवा", "विकास के लिए युवा" "जन साक्षरता के लिए युवा" "सामाजिक सदभावना के लिए युवा" "संपोसित विकास के लिए युवा " (बंजर भूमि विकास पर विशेष ध्यान सहित) तथा "जलाशय प्रबंध " जैसे विशेष विषयों पर 10 दिन की अवधि वाले कैंप आयोजित किए जाते हैं। नये मिलेनियम, विशेष कैम्पिंग के लिए इसका विषय है "स्वस्थ समाज के लिए युवा " । जो वर्ष 1999 से शुरू की गईं थी। चालू वर्ष 2003-04 के लिये "स्वच्छता" विषय चुना गया।

4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डीएस.)** : इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व राष्ट्रीय फिटनेस योजना के अधीन नियोजित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के वेतनों तथा भत्तों के व्यय और अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति की व्यवस्था करती है ।

5. **राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम** : 1977-78 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम का उद्देश्य उन विद्यार्थियों जिन्होंने प्रथम उपाधि पूरी कर ली है, और एक निश्चित अवधि के लिए पूर्ण-कालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल होने का संकल्प किया है, को अवसर प्रदान करना है।

6. **राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम** : इस स्कीम के अन्तर्गत, युवा कार्य और खेल मंत्रालय स्वेच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, एन.एस.एस. और एन.वाई.के.एस. को देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय समेकन शिविरों को आयोजित किए जाने के लिए, राज्यों में परस्पर निरीक्षण-दौरों, वाद-विवाद परिचर्चाओं, सम्मेलनों, अनुसन्धान प्रकाशन, क्षेत्रीय तथा आँचलिक पर्वों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों, जिन सभी का उद्देश्य साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषिक उग्रराष्ट्रीयवाद और अन्य विभाजक प्रवृत्तियां के विरूद्ध लड़ना है, सहायता प्रदान करता है।

7. **युवा छात्रावास** : युवा छात्रावासों का निर्माण युवा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यात्रा करने में युवा अपने देश की विभिन्नता का अनुभव प्राप्त करने के लिए, विगत कालीन गौरव स्मारकों के साथ-साथ इसके प्राकृतिक सौन्दर्य से अवगत होते हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन करता है। ऐसे छात्रावासों का निर्माण केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम स्वरूप किया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार निर्माण-कार्य की लागत व्यय का वहन करती है, राज्य सरकार जल, विद्युत, सुगम्य सड़क मार्ग और कर्मचारी वर्ग के क्वार्टरों सहित निःशुल्क लागत की विकसित भूमि प्रदान करती है।

8. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान** : राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा देश में युवाओं से सबंद्ध सभी कार्यकलापों के विस्तार हेतु उत्तरदायी युवा विकास के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय है।

9. **राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम (एन.आर.सी.)** : राष्ट्रीय पुनर्निमाण कोर जून, 1999 में दो वर्षों के लिए एक मार्गदर्शक परियोजना के रूप में देश में 80 चुनिंदा जिलों को शामिल करने के लिए आरंभ किया गया था। अभी तक इस योजना को 116 जिलों में लागू किया जा चुका है। योजना आयोग द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किया गया है और 10वीं योजना की बची हुई अवधि के दौरान इस योजना को आगे जारी रखने पर विचार किया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए उन युवाओं को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक शिक्षा पूरी कर ली है। एनआरसी स्वयंसेवकों को सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विकास से संबंधित विशेष परियोजनाओं मे नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा लगाया जाएगा। वालंटियरों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।

10. **राष्ट्रीय युवा आयोग** : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में 15 मार्च, 2002 को छः महीने की अवधि अर्थात् 15-9-2002 तक राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना की गई । यह आयोग युवकों से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करेगा और नई राष्ट्रीय युवा नीति की कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिये उपायों का सुझाव देगा। इसकी अवधि अब 31 मार्च, 2004 तक बढ़ा दी गई है।

11. **अन्य युवा कल्याण कार्यकलाप** : इसके अन्तर्गत संस्कृति आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवा प्रतिनिधि मंडलों के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान, युवा कल्याण कार्यों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, साहसिक स्काउटिंग, गाइडिंग संवर्धन योजना, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, युवा क्लबों को वित्तीय सहायता और पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक कार्यक्रमों को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल हैं। दो नयी योजनाएं (i) किशोरों के लिए कल्याण और विकास योजना तथा (ii) राष्ट्रीय/राज्य स्तर के युवा केन्द्रों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

12. **भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.)** : भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में इसकी स्थापना दो उद्देश्यों से की गई थी, अर्थात् प्रतिभावान बच्चों का पता लगाना/उनका विकास करना और उत्कृष्टता के लिये प्रयत्न करना/एम.ए.आई, दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित स्टेडियम के रख-रखाव और उपयोग के लिये भी उत्तरदायी है। देश में खेलों के संवर्धन एवं विकास की दिशा में एकीकृत उपाय अपनाने के लिये "स्नाइटस" को एस.ए.आई. के साथ मिला दिया गया है।

13. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान** : राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1957 में ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई थी जिसके उद्देश्य थे : (क) शारीरिक शिक्षा में गुणपत्ता नेतृत्व के लिये प्रशिक्षण देना । (ख) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये उत्कृष्ट सुविधायें प्रदान करना और (ग) आदर्श राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थानों को विकसित करना । संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है और संस्थान को इसकी विभिन्न खेल सम्बन्धित गतिविधियों के लिए अनुदान जारी किए जाएंगे।

14. **अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद्** : शारीरिक शिक्षा और खेलों के एकीकरण पर "सी.ए.बी.ई." समिति की रिपोर्ट स्वीकार किये जाने के साथ एक अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद का एक सांविधिक निकाय के रूप में गठन करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह परिषद देश में शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं की देखभाल करेगी और भारत सरकार को तथा उसके माध्यम से राज्य सरकारों को सभी मामलों पर सलाह देगी। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद की अभी स्थापना की जानी है।

15. **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार** : एक वर्ष के दौरान खिलाड़ी/टीम द्वारा खेलों के क्षेत्र में अद्वितीय एवं उत्कृष्ट निष्पादन के लिये भारत सरकार द्वारा 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शूरू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत केवल एक पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में एक मैडल, प्रशस्ति-पत्र और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

16. **अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में जीतने वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार** : "अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार" की स्कीम के अंतर्गत पुरस्कार 1986 में शुरू किये गये थे जिसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मैडल विजेताओं को खाने, प्रशिक्षण, तैयारियों पर किये गये व्यय तथा खेल के प्रति उनकी निष्ठा एवं सेवा के कारण उनकी बंचितताओं के लिये प्रतिपूर्ति करना है। इस पुरस्कार का दूसरा उद्देश्य इससे भी उच्चतर उपलब्धियों के लिये उत्कृष्ट खेलों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना और नई पीढ़ी को अपने जीवन के रूप में खेल अपनाने के लिये आकर्षित करना है।

18. **खेलकूद छात्रवृत्ति स्कीम :** इस स्कीम के अंतर्गत राज्य राष्ट्र और विश्वविद्यालय/कालेज स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर 450 रुपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर पर 600 रुपए प्रतिमाह और विश्विवद्यालय/ कालेज स्तर पर 750 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत महिला चैम्पियन्स को 1000 रुपए प्रतिमाह (वरिष्ठ महिला खिलाड़ी) की विशेष छात्रवृत्ति, एस.ए.आई. केन्द्रों में खेल कोचिंग में डिप्लोमा कर रही महिलाओं को 6000 रुपए की दर से छात्रवृत्ति और शारीरिक शिक्षा में एम.फिल/ पी.एच.डी. कर रही महिलाओं को 6000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्षों के लिये दी जाती है। इस योजना को खेल संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजना के एक घटक के रूप में 2004-2005 के लिए बजट अनुमानों में शामिल किया गया है।

19. **होनहार खिलाडियों को सहायता :** इसका संशोधन करके प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना किया गया है। इस स्कीम को "प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण स्कीम" नया नाम दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत होनहार खिलाडियों को प्रशिक्षण तथा विदेशों में होनेवाले टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए, उपकरणों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता तथा देश के अन्दर होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेने तथा प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही सहायक व्यक्तियों को खेल के किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु तथा सम्मेलनों और गोष्ठियों में भाग लेने, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उपस्थित होने तथा अर्हक परीक्षा आदि में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। देश के अंदर खिलाड़ियों एवं सहायक खिलाड़ियों के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के लिये भी सहायता दी जाती है।

20. **राष्ट्रीय खेलकूद संघों को सहायता** : अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने, प्रशिक्षण हेतु विदेश जाने के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन तथा खेल-कूद के सामान की खरीद करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद आयोजनों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए मंत्रालय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देता है। एस.ए.आई. के माध्यम से कोचिंग कैम्पों के आयोजन, राष्ट्रीय टीम तैयार करने और विदेशी कोचों को लगाने के लिये भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

21. **एफ्रो-एशियाई खेल** : पहला एफ्रो-एशियाई खेल का आयोजन नवम्बर, 2003 में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में सफलता पूर्वक किया गया।

22. **खेलकूद आधार संरचना सर्जन हेतु अनुदान** : इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य सरकारों, स्थानीय सांविधिक निकायों और खेलों में सक्रिय पंजीकृत स्वैच्छिक निकायों को मंत्रालय खेल मैदानों, अंतरण/बहिरंग स्टेडियम सुविधाओं, तरणतालों, जल एवं शीतकालीन खेल अवसंरचनाओं, शूटिंग रेंजों के निर्माण विद्यमान खेल परियोजनाओं में अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अनुदान देता है। इसके अलावा मंत्रालय जिला/राज्य स्तरीय खेल परिसरों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है।

23. **खेल उपस्कर और खेल मैदानों के लिए ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान**: इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदानों के विकास और उपयोग्य/अनुपयोग्य खेल उपस्कर की खरीद के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रदान करता है बशर्ते वह एक निश्चित अपेक्षित आकार के खेल के मैदान की उपलब्धता और नियमित रूप से नियुक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक को नियुक्ति की शर्त पूरी करते हैं।

24. **विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खेल-संवर्धन हेतु अनुदान** : मंत्रालय खेल मैदानों/अंतरग स्टेडियम सुविधाओं के निर्माण के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 75:25 के अनुपात में और अन्य सभी राज्यों के मामले में 50:50 के अनुपात में विश्वविद्यालय/कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसके लिए एक अधिकतम सीमा भी रखी गई है। खेल उपस्करों की खरीद के लिए 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

25. **सिंथेटिक खेल-सतह बिछाने के लिए अनुदान :** राज्यों/संघ राज्यों/राज्य खेल परिसरों/प्राधिकरणों, खेल संघों/एसोसिएशनों, सेवाओं/रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/विद्यालयों/निजी/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जो खेल अकादमी एवं खेल हॉस्टल चला रहे हैं, को मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हाकी सतह और एथलीटिक ट्रैक्स बिछाने या बदलने के लिये 1.00 करोड़ रुपए या अनुमानित लागत की 50% धनराशि, जो भी कम हो, की भी सहायता दी जाती है।

26. **अन्य स्कीमें :** इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप केन्द्रीय विद्यालयों में एन.सी.सी. कैडेटों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय खेल कल्याण निधि और (i) राज्य खेल अकादमी और (ii) मादक पदार्थ परीक्षण स्कीम शुरू की जा चुकी है।

राज्य खेल-कूद अकादमी :

यह योजना 2003-04 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई:

* खेल-कूद के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाना और युवकों को खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना ।
* राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कौशल वाले खिलाड़ियों को विस्तृत संसाधन पूल प्रदान करना।
* लंबी अवधि की योजना तैयार करना और बहुत कम आयु से दृढ़ वैज्ञानिक प्रशिक्षण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उत्पन्न करना।
* यह सुनिश्चित करना कि जूनियर और सब जूनियर कतारों से नियमित के माध्यम से कौशल विकास के कार्यक्रम को बरकरार रखा जाए।
* अच्छी प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त अकादमी सहायता से विशेष खेल प्रशिक्षण प्रदान करना।
* मैच मिज़ाज के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुलाव प्रदान करना तथा अत्याधुनिक कौशल और रणनीतियों से परिचित कराना।
* खेल-कूद को व्यावसाय के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा प्रक्रिया विकसित करना।
* व्यक्ति के सर्वांगीन विकास के लिए खेल-कूद के महत्व संबंधी जागरूकता लाना।
* अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद में भारत के लिए पदक हासिल करना ।

अकादमी को निम्नलिखित चार मुख्य विद्या एथलेटिक्स फुटबॉल, हॉकी (पुरुष तथा महिला) और कुश्ती में से एक विद्या रखना होगा। अन्य विद्या प्राथमिकता/गैर प्राथमिकता क्षेत्र से हो सकती है। अनुदान का लाभ केवल सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रम समर्थकों, व्यक्तिगत समर्थक और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

योजना का निधिकरण संयुक्त रूप से केन्द्र सरकार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन और समर्थक द्वारा किया जाएगा। पूंजीगत, आवर्ती और अनावर्ती लागतों की अकादमी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता समर्थक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 51:25:24 के अनुपात में होगी। केन्द्र सरकार का अंशदान (i) अधिकतम 218 लाख रुपए या पूंजी/अनावर्ती लागत का 25 प्रतिशत इसमें से जो भी कम हो तक सीमित है और (ii) आवर्ती अनुदान वास्तविक आवर्ती लागत का 25 प्रतिशत तक सीमित है यह अधिकतम 17 लाख रुपए प्रतिवर्ष तीन साल की अवधि के लिए दी जाएगी। विदेशों में खुलाव पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघ को सहायता योजना के अधीन रखी गई शर्तों के अनुसार वहन किया जाएगा।

नशीली दवा परीक्षण

इस नई योजना को 2003-04 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों से आरंभ किया गया:

* भारत में एक आईओसी द्वारा अधिकृत डोप नियंत्रण केन्द्र (डीसीसी) की स्थापना करना।
* अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड अर्थात आईएसओ : 17025 द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का अनुरक्षण करना।
* डोप के दुष्प्रभाव के बारे में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अन्य सहायक कार्मिकों को शिक्षा देना।
* दवा रहित खेल-कूद और डोप निरोधी नीति के लिए यौक्तिसंगतता की जांच करना और विकास करना।
* प्रतियोगिता में और प्रतियोगिता के बाहर खिलाड़ियों का डोप-परीक्षण करना।
* अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
* समय-सयम पर विश्व डोप निरोधी एजेंसी के साथ डोप संबंधी विनियमों को सुमेल करना।
* भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन्नत डोप नियंत्रण प्रयोगशाला का विकास किया है जो देश में डोप नियंत्रण कार्यकलापों का अधिकेन्द्र है।

27. **अन्य कार्यक्रम :** इसके अंतर्गत मंत्रालय के लिए सेमिनार, बैठकों का आयोजन करने के लिए व्यय का प्रावधान है।

28. **पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान :** यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान है।